सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ा सं. NCST/DEV-1615/JH/13/2023-ESDW **दिनांक : 20.12.2024**

सेवा मे,

सुश्री माधवी मिश्रा,
उपायुक्त, धनबाद,
समाहरणालय भवन,
प्रधान डाकघर के पास,
धनबाद -826001,झारखंड
ई-मेल: dc-dha@nic.in

विषय: समाचार पत्रिका, जागरण फोकस, झारखण्ड दिनांक 17.04.2023 में प्रकाशित समाचार "धनबाद में आदिवासियों की 500 एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं का कब्ज़ा, अंचल अधिकारियों की उदासीनता के आगे टेके घुटने" के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई की / रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय,

(एच.आर. मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
ई-मेल : hari.rammeena@ncst.nic.in

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/DEV-1615/JH/13/2023-ESDW

समाचार पत्रिका, जागरण फोकस, झारखंड में प्रकाशित समाचार "धनबाद में आदिवासियों की 500 एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, अंचल अधिकारियों की उदासीनता के आगे घुटने टेक दिए के संबंध में स्वत: संज्ञान पर आयोग के माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 03.12.2024 को हुई सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	03/12/2024 को 10:45 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-। के अनुसार।

समाचार पत्रिका, जागरण फोकस, झारखंड में प्रकाशित समाचार के अनुसार, धनबाद जिले में भू-माफियाओं ने आदिवासियों की 500 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। इस अवैध कब्जे के खिलाफ अंचल अधिकारियों की उदासीनता के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। यह समाचार कतरन आयोग तक पहुंचा, और माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया। आयोग ने इस मामले की जांच प्रारंभ की है और भूमि विवाद के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की योजना बनाई ।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु उपायुक्त , धनबाद , झारखण्ड को आयोग की ओर से नोटिस दिनांक 24.04.2023 भेजा गया। आयोग के नोटिस के सन्दर्भ में कोई उत्तर / रिपोर्ट न प्राप्त होने पर आयोग के माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 03.12.2024 को सिटिंग/सुनवाई तय की गई तदनुसार सम्बंधित प्राधिकारियों को सिटिंग /सुनवाई नोटिस जारी किए गए ।

3. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, जिला-धनबाद, झारखंड आयोग के समक्ष उपस्थित हुए | शिकायतकर्ता सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

i. मामले में, उपायुक्त, जिला-धनबाद, झारखंड उपरोक्त विषय पर वर्तमान स्थिति और अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में आयोग को अवगत कराएं।

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिन के भीतर आयोग को भेजने की व्यवस्था करें |

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi